

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1627/2011/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पारेता ट्रेडिंग कम्पनी

कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री दिनेश कुमार

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.02.2016

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 86/आरएसटी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 77,340/- आरोपित की है, को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 12.06.1999 को वाहन संख्या ए.पी.-7 डबलू 1125 को रोक कर चेक किया। वक्त चेंकिंग वाहन में 255 बोरी सूखी लाल मिर्च गंटूर से प्रत्यर्थी व्यवहारी के यहां लाई जा रही थी। वक्त चेंकिंग परिवहनित माल के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी कमीशन पाती क्रमांक 203 दिनांक 04.05.99 रु. 2,57,800/- कन्साईनमेन्ट नोट क्रमांक 848 दिनांक 08.06.99, बिल क्रमांक 0644488 दिनांक 08.06.99 रु. 2,57,800/- आदि दस्तावेज थे। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि 'कमीशन पाती' पर यह लिख हुआ था कि आपके दूरभाष आदेश की पालना में 255 बोरी सूखी लाल मिर्च क्रय करके अमरावती कोल्ड स्टोरेज के यहां आपकी रिक्स पर रखवा दी गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त लिखावट के आधार पर यह माना कि यह बिल नहीं होकर केवल मात्र क्रय करने का हिसाब है और यह माल गंटूर से कमीशन एजेन्ट द्वारा क्रय किया जाकर अपीलान्त की रिस्क पर कोल्ड स्टोरेज पर रखवा दिया गया है इसलिए माल मालिक गंटूर में ही अपीलान्त हो गया और उसने यह माल एक प्रकार से स्टॉक ट्रांसफर किया है जिसके लिए उसे माल के साथ एस टी 18ए संलग्न करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है अतः उसके अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु.

77,340/-आरोपित कर दी । उक्त आरोपित शास्ति से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल सूखी लाल मिर्च पायी गयी है, जो अधिसूचित माल की श्रेणी में आती है, जिसके परिवहन के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए होना आज्ञापक है, जिसके नहीं होने से अधिनियम की धारा 78 (2) (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय हैं। उनका कथन है कि वक्त जांच पाया गया माल स्टॉक ट्रांसफर न होकर माल स्वयं का परिवहनित किया जाना रेकार्ड से प्रमाणित होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने वक्त जांच पाये गये माल को स्टॉक ट्रांसफर मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवहारी है तथा उसने गन्टूर के पंजीकृत व्यापारी को 255 बोरी लाल मिर्च भिजवाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में मैसर्स मेरामचन्द नेमीचन्द गन्टूर के विभिन्न व्यक्तियों एवं व्यवहारियों से पृथक-पृथक मात्रा में 255 बोरी सूची लाल मिर्च क्रय की और सुरक्षा की दृष्टि से कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया और दिनांक 08.06.1999 को इस माल को गन्टूर से कोटा के लिए रवाना किया है। उनका कथन है कि उक्त माल अर्न्तप्रान्तीय खरीद के रूप में लाया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि वाहन के साथ उपलब्ध कमीशन पाती में माल की कीमत, कमीशन, क्रय कर एवं एम जी सी के खर्चे आदि मिलाकर रु. 2,57,800/- का बिल (कमीशीन पाती क्रमांक 203) मैसर्स मेरामचन्द नेमीचन्द गन्टूर द्वारा जारी किया गया था। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग माल के साथ बिल व बिल्टी आदि सभी दस्तावेज मौजूद थे। उनका कथन है कि माल स्टॉक ट्रांसफर कर लाया जा रहा था इसलिए घोषणा पत्र एस.टी.18ए की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 से स्टॉक ट्रांसफर, डिपो ट्रांसफर एवं ब्रान्च ट्रांसफर पर घोषणा पत्र एस टी 18ए की अनिवार्य की गई थी जबकि माल इससे पूर्व दिनांक 12.06.1999 को परिवहनित करते हुए पाया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने

इन्हीं तथ्यों का अपने अपीलाधीन आदेश में विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीसन संख्या 137/2003 निर्णय दिनांक 05.10.2007 मैसर्स दिनेश कुमार संजीव कुमार, भागलपुर बिहार बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऊचा नंगला, भरतपुर एवं एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीसन संख्या 289/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा बनाम मैक्सर्स स्टील अथारिटी आफ इण्डिया, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2015 को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया एवं प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज यथा कमीशन पाती, बिल एवं बिल्टी आदि थे, जिनमें माल भेजने वाले व पाने वाले का पूर्ण नाम व पता, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या अंकित थे, जिससे यह स्पष्ट है कि माल का अन्तरप्रान्तीय खरीद करके आयात किया गया है वक्त बहस प्रस्तुत की गई अधिसूचना दिनांक एफ.4(4)एफडी/ टैक्स डिवी./99-157 दिनांक 26.03.1999 एवं एफ.4(4)एफडी/ टैक्स डिवी./95-157 दिनांक 26.03.1999 के अनुसार उक्त माल अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 से स्टॉक ट्रांसफर, डिपो ट्रांसफर एवं ब्रान्च ट्रांसफर पर घोषणा पत्र एस टी 18ए की अनिवार्य की गई थी जबकि माल इससे पूर्व दिनांक 12.06.1999 को परिवहनित करते हुए पाया गया है, इसलिए घोषणा पत्र एस टी 18ए की अनिवार्यता बताकर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना विधिक नहीं है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में इन्हीं तथ्यों को विवेचित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित की गई शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता दृष्टिगोचर नहीं होती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य